भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1864
05 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में गर्भावधि मधुमेह में वृद्धि

1864. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में गर्भावधि मधुमेह मेलिटस में वृद्धि पर गौर किया है जो 2015-16 में एनएफएचएस 4 में नगण्य था और 2019-21 में बढ़कर एनएफएचएस 5 में 0.63 प्रतिशत हो गया है;
(ख) क्या इसके कारणों पर कोई अध्ययन किए गए हैं;
(ग) बेहतर स्क्रीनिंग और माताओं की बेहतर देखरेख के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) जटिलताओं और भविष्य में टाइप-2 मधुमेह को रोकने के लिए कोई लक्षित कार्यक्रम हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लगभग तीन वर्षों की अवधि से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक एकीकृत सर्वेक्षण संचालित करता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और इससे संबद्ध क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषताएं; प्रजनन क्षमता और प्रजनन प्राथमिकताएं; परिवार नियोजन; शिशु एवं बाल मृत्यु दर; मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य; पोषण; रुग्णता और स्वास्थ्य परिचर्या; महिला सशक्तीकरण आदि संबंधी आंकड़े प्रदान करता है। एनएफएचएस रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, '15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की उन महिलाओं, जिनका रक्त शर्करा स्तर (यादृच्छिक) 140 मिग्रा/डेसीलीटर से अधिक है या जो अपने रक्त शर्करा स्तर को कम करने के लिए दवा ले रही हैं', का प्रतिशत प्रदान करती है और 15-49 आयु वर्ग की उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने बताया कि उन्हें मधुमेह है तथा आंध्र प्रदेश हेतु संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

संकेतक	एनएफएचएस -4 (2015-16)	एनएफएचएस -5 (2019-21)
15 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं का प्रतिशत जिनका रक्त शर्करा स्तर >140 एमजी/डीएल (यादृच्छिक) है या जो अपने रक्त शर्करा स्तर को कम करने के लिए दवा ले रही हैं	उपलब्ध नहीं	19.5%
15-49 वर्ष की आयु की उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने बताया कि उन्हें मधुमेह है	2.4%	3.4%

स्रोत: एनएफएचएस-5 (2019-21) और एनएफएचएस-4 (2015-16) भारत रिपोर्ट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गर्भावधि मधुमेह (जीडीएम) का समय पर निदान, अल्पावधि और दीर्घावधि में माँ और बच्चे पर अनियंत्रित जीडीएम के दुष्प्रभावों की रोकथाम और अल्पीकरण के लिए उचित उपचार शुरू करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, मातृ और भ्रूण के परिणामों में सुधार के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2014 में "गर्भावधि मधुमेह के निदान और प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश" और 2018 में "गर्भावधि मधुमेह के निदान और प्रबंधन पर तकनीकी और परिचालन दिशानिर्देश" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश गर्भावस्था के दौरान जितनी जल्दी हो सके, पहली प्रसवपूर्व जाँच के समय सभी गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जाँच को समर्थन करते हैं और इन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जीडीएम के साथ गर्भावस्था के दौरान होने वाली कठिनाईयों की रोकथाम के लिए अनेक उपाय और पहलें की गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित एक आउटरीच कार्यकलाप है जिसका उद्देश्य आईसीडीएस के साथ मिलकर पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या प्रदान करना है। सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व अवधि के दौरान दो बार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)/प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) सत्र में जीडीएम के लिए जाँच की जाती है। पहला ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस परीक्षण (ओजीटीटी) पहले प्रसवपूर्व संपर्क के दौरान या गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके किया जाता है और दूसरा परीक्षण गर्भावस्था के 24-28 सप्ताह के दौरान, यदि पहली जांच नेगेटिव आती है, किया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापरक प्रसवपूर्व जाँच प्रदान करता है। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं की समय पर पहचान और प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए, विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (ई-पीएमएसएमए) प्रत्येक माह के निर्धारित दिनों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसवपूर्व क्लीनिक, जहाँ प्रशिक्षित प्रसूति विशेषज्ञ और चिकित्सा कर्मी जोखिम जाँच करते हैं, नाम-आधारित ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हैं, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को निकटतम प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) से जोड़ते हैं, को संचालित करता है और आरंभिक कार्यकलाप शुरू करते हैं।
- सामुदायिक स्तर पर, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशाकर्मी) और सहायक नर्स मिड्वाइफ (एएनएम) सहित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी, घरेलू स्तर पर जोखिम आकलन करते हैं, महिलाओं को जाँच के लिए लाते हैं, स्वस्थ आहार और जीवनशैली संबंधी परामर्श प्रदान करते हैं, समय पर रेफरल की सुविधा प्रदान करते हैं और जीडीएम, उच्च रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। यह परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करता है और विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोकथाम को बढ़ावा देता है।

- राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत, हृदयवाहिका और चयापचय संबंधी जटिलताओं की रोकथाम के लिए मधुमेह की शीघ्र पहचान और जीवनशैली में परिवर्तन संबंधी परामर्श शामिल है। निदान-प्राप्त व्यक्तियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से नियमित अनुवर्ती और निगरानी सेवाओं के जरिए संपर्क में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से मध्यम और विशिष्ट परिचर्या तक पहुँच के लिए योजना, जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) जो 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को वित्तीय कवरेज प्रदान करती है और इसमें हृदयवाहिका संबंधी सर्जरी सहित मधुमेह संबंधी जटिलताओं का उपचार सहित, के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इंसुलिन और हृदयवाहिका के उपचार की औषधियों सहित किफायती दवाओं की सुलभता के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) तथा किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण संबंधी उपचार (अमृत) फार्मेसी के माध्यम से सुविधा दी जाती है। दीर्घकालिक परिचर्या के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), जीडीएम और टाइप 2 मधुमेह से जुड़ी तीव्र और पुरानी दोनों जटिलताओं का प्रभावी प्रबंधन समर्थ करके, जिला और उप-जिला स्तरों पर नैदानिक और गहन परिचर्या क्षमता को बढ़ा रहा है।

******